नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914

(1914 का अधिनियम संख्यांक 2)[1]

[3 फरवरी, 1914]

किसी कीट, कवक या अन्य नाशक जीव के जो फसलों के लिए नाशक है या नाशक हो, [2][भारत] में प्रवेश और [3][[4]* एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन] को निवारित करने के लिए**

अधिनियम

यतः किसी कीट, कवक या अन्य नाशक जीव के जो फसलों के लिए नाशक है या नाशक हो, [5][भारत] में प्रवेश और उसके [3][[4]*** एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन] को निवारित करने के लिए उपबंध करना समीचीन है;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता हैः—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—[6][(1)] इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 है।

[7][(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है [8]***।]

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "फसलों" में सभी कृषि या उद्यानकृषि फसलें [9][और सभी वृक्ष, झाड़ियां या पौधे] आते हैं,

(ख) "आयात" से समुद्र, [10][भूमि या वायु] मार्ग से [11][केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमाशुल्क सीमान्त के पार] लाना या ले जाना अभिप्रेत है, [12]***

(ग) "संक्रम" से फसलों को क्षतिकर किसी कीट, कवक या अन्य नाशक जीव द्वारा संक्रम अभिप्रेत है, [13]***

[14]* * * * *

3. संक्रम कारित करने वाली वस्तुओं के आयात को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार [15][भारत] या उसके किसी भाग या उसके किसी विनिर्दिष्ट स्थान में किसी फसल को संक्रम कारित करने वाली किसी वस्तु या वस्तुओं के किसी वर्ग के या [16][साधारणतया कीटों या कीटों के किसी वर्ग] के आयात को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह अधिरोपित करे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी या विनियमित कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन कोई अधिसूचना किसी वस्तु या वस्तुओं के किसी वर्ग को या [16][किसी कीट या कीटों के किसी वर्ग] को या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट रीति से, चाहे उसके उद्भव के देश के या उस मार्ग के, जिससे आयात किया गया है, प्रति निर्देश करके या अन्यथा विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

---

[1] यह अधिनियम, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर और 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर लागू करने के लिए विस्तारित किया गया।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1938 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा "और एक प्रांत से दूसरे प्रांत को परिवहन" शब्द अंतःस्थापित।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत में" शब्द निरसित।

[5] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग क राज्य और भाग ग राज्य (एतद्पश्चात् इस अधिनियम में उक्त राज्यक्षेत्र निर्देशित किया गया) में सम्मिलित राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा धारा 1 उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित।

[7] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।

[8] 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया।

[9] 1938 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा "और वृक्ष या झाड़ियां" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[10] 1930 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा "या भूमि" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[11] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित सीमाशुल्क सीमान्त की परिभाषा के लिए देखिए, सागर सीमाशुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8) की धारा 3क और भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3, तारीख 6 अगस्त, 1955, पृ० 1521।

[12] 1939 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा "और" शब्द निरसित।

[13] 1939 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित शब्द "और" विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा निरसित किया गया।

[14] 1951 के अधिनियम सं० 3 द्वारा प्रतिस्थापित खंड (घ) का 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया।

[15] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "उक्त राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[16] 1938 के अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][(3) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन किसी वस्तु या वस्तुओं के किसी वर्ग का या किसी कीट या कीटों के किसी वर्ग का आयात करने के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करने या उसका निरीक्षण, धूमीकरण, विसंक्रामण, निर्दूषण या पर्यवेक्षण करने के लिए ऐसी फीस का, ऐसी दर से और ऐसी रीति से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण भी कर सकेगी ।]

4. धारा 3 के अधीन अधिसूचना का प्रवर्तन—धारा 3 के अधीन अधिसूचना ऐसी प्रवृत्त होगी मानो उसे सागर सीमाशुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8) की धारा 19 के अधीन निकाला गया हो तथा हर पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारियों को ऐसी किसी वस्तु के संबंध में, जिसके आयात के बारे में ऐसी अधिसूचना निकाली गई है, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जैसी उन्हें तत्समय ऐसी किसी वस्तु के बारे में प्राप्त हैं जिसके आयात को सागर सीमाशुल्क से संबंधित विधि द्वारा विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध किया गया है तथा तत्समय प्रवृत्त सागर सीमाशुल्क या ऐसी किसी वस्तु से सम्बन्धित विधि तद्नुकूल लागू होगी ।

[2][**4क. संक्रम कारित करने वाले कीटों या वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार किसी फसल को संक्रम कारित करने वाली किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के या साधारणतया कीटों या कीटों के किसी वर्ग के किसी राज्य से निर्यात को या [3]*** एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी या ऐसी शर्तों पर, जैसी वह अधिरोपित करे, विनियमित कर सकेगी ।

4ख. उस वस्तु का वहन करने से इंकार करना जिसका परिवहन प्रतिषिद्ध किया गया है—जब कि कोई अधिसूचना धारा 4क के अधीन निकाल दी गई है, तब किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के होते हुए भी, वह व्यक्ति जो किसी रेल स्टेशन या अन्तर्देशीय वाष्प जलयान स्टेशन पर माल या पार्सलों की बुकिंग करने के लिए उत्तरदायी है—

(क) उस दशा में, जिसमें कि अधिसूचना निर्यात या परिवहन को प्रतिषिद्ध करती है, उस स्टेशन से ऐसे किसी स्थान को जो उस राज्य से, जिसमें ऐसा स्टेशन स्थित है, भिन्न राज्य के अन्दर है, परेषित वस्तु को, जिसका आयात या परिवहन प्रतिषिद्ध है, वहन करने के वास्ते किसी रेल या अन्तर्देशीय वाष्प जलयान पर न तो लेगा, या न अग्रेषित करेगा, या जानते हुए न ले जाने देगा, तथा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि अधिसूचना निर्यात या परिवहन पर शर्तें अधिरोपित करती है, तब के सिवाय जब कि परेषक यह दर्शित करने वाली कि उन शर्तों का पालन हो गया है, दस्तावेज या विहित प्रकृति की दस्तावेजों को पेश कर देता है, या परेषित वस्तु के साथ वे दस्तावेजें हैं, उसे ऐसे लेने या अग्रेषित करने या जानते हुए ले जाने देने से ऐसे इनकार कर देगा ।

4ग. [**जम्मू-कश्मीर राज्य को निर्यात किए गए माल पर धारा 4ख का लागू होना**]—जम्मू-कश्मीर (विधि विस्तारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) निरसित ।

4घ. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—[4][(1)] केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों की जो ऐसी किसी वस्तु या कीट के साथ हों जिसका निर्यात या परिवहन धारा 4क के अधीन अधिरोपित शर्तों के अधीन किया जाता है या जो उसके परेषक या परेषिती द्वारा धृत हों, प्रकृति को, उन प्राधिकारियों को, जो ऐसी दस्तावेजों को जारी कर सकते हैं, और उस रीति को, जिससे दस्तावेजों का प्रयोग किया जाएगा, विहित करने वाले नियम बना सकेगीः

[5]* * * *

[6][(2) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

5. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार [7]*** [8][किसी कीट या कीटों के वर्ग को] या किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग को, जिनके बारे में धारा 3 [8][या धारा 4क] के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, या ऐसी किसी वस्तु के, जो उसके सम्पर्क या सामीप्य में रही हो, निरोध, निरीक्षण, विसंक्रामण या विनाश के लिए और उन अधिकारियों की, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, शक्तियों और कर्तव्यों को विनियमित करने के लिए नियम [6][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,] बना सकेगी ।

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा (27-10-1989 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1938 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा धारा 4क से 4घ तक अंतःस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत में" शब्द निरसित ।

[4] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) धारा 4घ, उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित ।

[5] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) परन्तुक का लोप किया गया ।

[6] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंतःस्थापित ।

[7] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अधीन" शब्द निरसित ।

[8] 1938 के अधिनियम सं० 6 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) इस धारा के अधीन नियम बनाते समय राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि उनका भंग जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

[1][(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

[2][**5क. शास्तियां**—जो व्यक्ति, जानते हुए किसी वस्तु या कीट को किसी राज्य से निर्यात करेगा या धारा 4क के अधीन निकाली गई अधिसूचना के उल्लंघन में किसी वस्तु या कीट का परिवहन [3]*** एक राज्य से दूसरे राज्य को करेगा या किसी वस्तु या कीट के इस प्रकार निर्यात करने या परिवहन करने का प्रयत्न करेगा [4]*** और किसी रेल या अन्तर्देशीय वाष्प जलयान स्टेशन पर माल या पार्सलों की बुकिंग करने के लिए उत्तरदायी जो व्यक्ति जानते हुए धारा 4क के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]

6. अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

———

[1] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1938 के अधिनियम सं० 6 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत में" शब्द निरसित किए गए ।
[4] 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "कोई वस्तु या कीट, जिसके बारे में धारा 4ग के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, भारत से जम्मू-कश्मीर राज्य को निर्यात करेगा या निर्यात करने का प्रयास करेगा" शब्दों का लोप किया गया ।